

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / २०२१ / १८२७

रीवा, दिनांक ५-०८-२०२१

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २८ के अन्तर्गत कला संकाय अन्तर्गत संगीत के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा २८(४) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

संगीत अध्ययन मण्डल


अधिनियम	२८(२) एक	१	रिक्त
	२८(२) दो	१	डॉ० नागेश कुमार त्रिपाठी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, संगीत, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, जिला-रीवा (म०प्र०)
		२	रिक्त
	२८(२) तीन	१	रिक्त
	२८(२) चार	१	डॉ० देवाशीष बनर्जी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, संगीत, शास० कन्या महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		२	डॉ० (श्रीमती) चन्दना मजूमदार, व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष, संगीत, रीवा कालेज ऑफ एजुकेशन, रीवा (म०प्र०)
	२८(२) पाँच	१	डॉ० (श्रीमती) सरिता पाठक, प्राध्यापक, संगीत, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		२	डॉ० (श्रीमती) देवस्मिता अंजली अर्नाल्ड, सहायक प्राध्यापक, संगीत, शास० कन्या स्तनातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

अधिनियम २८(३) के अन्तर्गत डॉ० नागेश कुमार त्रिपाठी को संगीत अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव ५.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
२. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
३. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
४. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
५. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
६. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
७. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
८. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)